Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 20, Issue No. 4, October-2023, ISSN 2230-7540

सिवनी जिले में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता का अध्ययन

Deepak Kumar Warkade[1]*, Dr. Anamika Rawat[2]

[1] Research Scholar, Bhabha University,Bhopal, MP

Email: Deepakwarkade6@gmail.com

[2] Professor of Political Science Department, Bhabha University,Bhopal, MP

सार– सिवनी जिले की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसका नाम शिसियोनाश शब्द से आया है, जो गुडिना आर्बोरिया पेड़ को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति है। सिवनी में पुरातात्विक खोजों में एक प्रारंभिक तांबे का शिलालेख शामिल है, जो तीसरी शताब्दी ईस्वी में वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वितीय द्वारा जारी किया गया एक भूमि अनुदान है। यद्यपि भूमि अनुदान का सटीक स्थान निर्दिष्ट नहीं है, नागपुर, छिंदवाड़ा और अजंता गुफाओं में अतिरिक्त तांबे की प्लेटों की खोज से पता चलता है कि यह क्षेत्र वाकाटक शासन के अधीन रहा होगा। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि सतपुड़ा पर्वतमाला कुछ समय के लिए गौड़ साम्राज्य की थी। इसके बाद, यह क्षेत्र संभवतः कलचुरियों के प्रभुत्व में आ गया, जिनकी राजधानी जबलपुर जिले के तेवर में स्थित थी। कलचुरियों ने 9वीं से 12वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन किया। माना जाता है कि महोबा के चंदेलों ने बाद में कलचुरियों पर कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि मौखिक इतिहास में चंदेल जनरलों द्वारा कलचुरी राजकुमारी को सुरक्षित करने के लिए सिवनी क्षेत्र पर कब्ज़ा करने का उल्लेख है। ये ऐतिहासिक विवरण सिवनी की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, पिछले शासकों और क्षेत्र पर उनके प्रभाव के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस लेख में सिवनी जिले में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता का अध्ययन किया गया है।

कीवर्ड– पंचायती राज, सहभागिता, राजनैतिक, महिलाओं

----------X----------

1. परिचय

पंचायती राज और ग्रामीण विकास आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और इन्हें अलग–अलग संस्थाएँ नहीं माना जा सकता। पंचायती राज प्रणाली को तीन स्तरों में संरचित किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायतें, मध्यस्थ स्तर और जिला परिषदें शामिल हैं, प्रत्येक अपने–अपने स्तर पर विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं।1 ये संस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे केंद्र हो या राज्य सरकारें, विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा जाता है। पंचायती राज की अवधारणा की ऐतिहासिक जड़ें प्राचीन भारत में हैं, जैसा कि ऐतिहासिक वृत्तांतों में दर्ज है। साम्राज्यों के उत्थान और पतन के बावजूद गाँव भारतीय समाज की नींव बने हुए हैं। अतीत में, गाँव जमीनी स्तर पर एक आर्थिक और प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करता था।2 पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पाया जाता है, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। यह लेख ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देता है। दुर्भाग्य से, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी3 अभी भी बनी हुई है, अनुमानित 30 प्रतिशत ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है।

भारत में पंचायती राज संस्थाएँः एक सिंहावलोकन

अपने राजनीतिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने शासन के दौरान ग्राम पंचायतों पर अधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय लागू किए। 1909 में, स्थानीय स्वशासन पर एक विशेष आयोग नियुक्त किया गया, जिसने स्थानीय मामलों के प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायतों की स्थापना के महत्व को पहचाना। इसने बंगाल ग्राम स्वशासन अधिनियम (1919), मद्रास, बॉम्बे और संयुक्त प्रांत ग्राम पंचायत अधिनियम (1920), बिहार और उड़ीसा ग्राम प्रशासन अधिनियम, और असम स्वशासन अधिनियम (1926) जैसे कई अधिनियमों की शुरूआत का मार्ग प्रशस्त किया।4 इन अधिनियमों का उद्देश्य गाँव के मामलों को संबोधित करना और विकास को बढ़ावा देना है। इन अधिनियमों के तहत, ग्राम पंचायतों को मुख्य रूप से छोटे मामलों को संभालने के लिए सीमित शक्तियाँ प्रदान की गईं। हालाँकि, उन्हें दी गई शक्तियाँ अल्प थीं, और उनके वित्तीय संसाधन सीमित थे। हालाँकि इन अधिनियमों ने स्थानीय शासन और विकास के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन इनका कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों को पर्याप्त स्वायत्तता और संसाधन प्रदान करने में कम रहा। ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए ये उपाय ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्थानीय मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करने के उनके इरादे को दर्शाते हैं, भले ही सीमित शक्तियों और संसाधनों के साथ। इन अधिनियमों के सीमित दायरे ने बाद के सुधारों की नींव रखी जो स्थानीय शासन और विकास को

www.ignited.in

बढ़ावा देने में ग्राम पंचायतों की भूमिका और कार्यों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

पंचायती राज संस्थाओं के कार्य

पंचायती राज संस्थाएँ कई प्रकार के कार्यों को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिन्हें मोटे तौर पर प्रथम स्तर पर नागरिक और विकासात्मक कार्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिन्हें ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है। इन कार्यों में स्वच्छता, संरक्षण, जल आपूर्ति, सड़कों का निर्माण और रखरखाव, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सामाजिक कल्याण पहल जैसे क्षेत्र शामिल हैं।5

मध्य स्तर, जिसमें पंचायती समिति, मंडल परिषद या जनपद पंचायतें शामिल हैं, मुख्य रूप से विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं। इन गतिविधियों में परिवार नियोजन, ग्राम सेविकाओं का प्रशिक्षण, बच्चों और महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि की योजना बनाना, कृषि उत्पादन, ग्रामीण आवास, मत्स्य पालन, सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सहकारी पहल और पुस्तकालयों की स्थापना शामिल है। कई राज्यों में, जिला परिषदों, जिला विकास परिषदों या जिला प्रजा परिषदों को कुछ कार्यकारी कार्यों के साथ–साथ समन्वय और योजना कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।

2. अध्ययन का उद्देश्य

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता का अध्ययन करना।

3. साहिन्य की समीक्षा

पुष्पा अर्चना (2014)06 "महिला प्रभारी, कर्नाटक, क्विड रिवोल्यूशन'' शीर्षक से अपने अध्ययन में, देखा कि ग्राम पंचायत की बहुत कम महिला सदस्यों को उनके राजनीतिक दलों द्वारा दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालाँकि, इसके बावजूद, सुवर्णा और के. प्रभावती ने कहा कि इन महिलाओं को उनके काम से मिली पहचान और सराहना से प्रेरणा मिलती है। ग्राम पंचायत में उनकी भागीदारी के माध्यम से, उन्होंने व्यक्तिगत विकास का अनुभव किया है, पुलिस अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के साथ संवाद करने का साहस और दृढ़ विश्वास प्राप्त किया है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राम पंचायत में शामिल होने से पहले इनमें से कई महिलाओं का अपने परिवार या आस–पड़ोस के बाहर सीमित संपर्क था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने समुदाय के बीच सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ–साथ अपने वार्डों या गांवों की ढांचागत जरूरतों को पूरा करने का कौशल भी हासिल कर लिया है।

सदाशिवम (2014)07 ने ''भारत में समावेशी लोकतंत्रः अभी भी एक लंबी यात्रा'' शीर्षक से एक शोध लेख आयोजित किया। लेख का निष्कर्ष है कि हमारे देश में समावेशी लोकतंत्र की अवधारणा केवल मतदान के माध्यम से चुनावों में भागीदारी से आगे बढ़नी चाहिए। सच्चे समावेशी लोकतंत्र के लिए समाज के सभी वर्गों के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समावेशिता की आवश्यकता होती है, जिसमें वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच सहित लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग अभी भी इन आवश्यक चीजों से वंचित हैं। इन तीन क्षेत्रों में समावेश हासिल किए बिना, सच्चे समावेशी लोकतंत्र को साकार नहीं किया जा सकता है।

महापात्रा जी.पी. (2007)08 ''रूरल बैंक्स फॉर रूरल डेवलपमेंट'' ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा ऋण प्रावधान से संबंधित चुनौतियों और संभावित समाधानों की एक व्यापक परीक्षा प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक ग्रामीण वित्तीय संस्थानों की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालती है और देश भर में आरआरबी की स्थापना के महत्व पर जोर देती है। ये वित्तीय संस्थान एक निर्दिष्ट जिले के भीतर ग्रामीण वित्त की नींव के रूप में कार्य करते हैं। यह अध्ययन मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में एक आरआरबी के मामले के अध्ययन के साथ–साथ भारत के व्यापक संदर्भ पर केंद्रित है। ग्रामीण विकास और ऋण पहुंच में ग्रामीण बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, पुस्तक ग्रामीण क्षेत्र पर उनके महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालती है। हालाँकि, यह उन बाधाओं की भी पहचान करता है जो उनके प्रभावी कामकाज में बाधा डालती हैं। शोध कार्य सावधानीपूर्वक इन बाधाओं का पता लगाता है और स्वयं बैंकों के साथ–साथ प्रायोजक बैंकों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को उपचारात्मक उपाय प्रदान करता है। आरआरबी के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करके और कार्रवाई योग्य समाधान प्रस्तावित करके, यह अग्रणी कार्य ग्रामीण बैंकिंग की समग्र वृद्धि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका में योगदान देता है। यह वित्तीय समावेशन और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में शामिल नीति निर्माताओं, बैंकिंग संस्थानों और हितधारकों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

भाग्यलक्ष्मी, जे. (2004)09 ''महिला सशक्तिकरण मील आगे जाना है'', शीर्षक से अपने शोध पत्र में, इस बात पर प्रकाश डाला कि महिलाएं अक्सर खुद को अत्यधिक गरीबी की स्थितियों में फंसा हुआ पाती हैं, जो घरेलू और सामाजिक भेदभाव से और भी जटिल हो जाती है। नतीजतन, व्यापक आर्थिक नीतियों और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को इन महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली जरूरतों और चुनौतियों को विशेष रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। अध्ययन से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) पहले से ही तीनों स्तरों पर सदस्यों और अध्यक्षों के रूप में महिलाओं के लिए कुल पदों में से न्यूनतम एक–तिहाई पदों को आरक्षित करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ये पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों को तैयार करने और लागू करने की जिम्मेदारी निभाती हैं।

हस्ट एवलिन (2004)10 ने अपनी पुस्तक 'भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण' में महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति और सशक्तिकरण की गतिशीलता पर प्रकाश डाला है, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है। लेखक ओडिशा राज्य में किया गया एक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करता है। पुस्तक इस बात का खुलासा करती है कि आरक्षण नीति ने 73वें संशोधन में उल्लिखित अनिवार्य कोटा को पूरा करके सीमित स्तर की राजनीतिक उपस्थिति को सफलतापूर्वक स्थापित किया, लेकिन इसने सशक्तिकरण के वांछित लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल नहीं किया।

www.ignited.in

4. शोध पद्धति

वर्तमान अध्ययन के लिए शोध पद्धति, में मिश्रित–तरीके का दृष्टिकोण शामिल है। यह दृष्टिकोण अनुसंधान समस्या की व्यापक समझ प्राप्त करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान तकनीकों को जोड़ता है।

मिश्रित–विधि दृष्टिकोण: अनुसंधान समस्या की व्यापक समझ हासिल करने के लिए, अध्ययन गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान तकनीकों के संयोजन से मिश्रित–विधि दृष्टिकोण का उपयोग करता है।

अनुक्रमिक खोजपूर्ण प्रारूप: अनुसंधान प्रारूप एक अनुक्रमिक खोजपूर्ण प्रारूप का अनुसरण करता है, जहां पहले गुणात्मक प्रदत्ता एकत्र किया जाता है, उसके बाद मात्रात्मक प्रदत्त एकत्र किया जाता है।

जनसंख्या और नमूना चयन: लक्षित जनसंख्या में सिवनी जिले में पंचायती राज संस्थानों में शामिल महिलाएं शामिल हैं। प्रतिनिधि नमूने का चयन करने के लिए उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस हेतु सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया हैं।

5. विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी 1

क्या आपको लगता है कि महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति नेता बनने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है?

महिलाएं	सं	प्रतिक्रिया					
		हॉ		नहीं		पता नही	
		आवृति	%	आवृति	%	आवृति	%
जिला पंचायत	10	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जनपद पंचायत	79	42.00	53.16	23.00	29.11	14.00	17.72
ग्राम पंचायत	311	111.00	35.16	125.00	40.19	75.00	24.12
योग	**400**	**163.00**	**40.75**	**148.00**	**37.00**	**89.00**	**22.25**

सारणी 2

क्या आपने कभी पीआरआई में नेतृत्व का पद संभाला है?

महिलाएं	सं	प्रतिक्रिया					
		हॉ		नहीं		पता नही	
		आवृति	%	आवृति	%	आवृति	%
जिला पंचायत	10	8.00	80.00	2.00	20.00	0.00	0.00
जनपद पंचायत	79	38.00	28.10	18.00	22.78	23.00	29.11
ग्राम पंचायत	311	138.00	44.37	112.00	36.01	61.00	19.61
योग	**400**	**184**	**46**	**132**	**33**	**84**	**21**

सारणी 3

क्या आप पीआरआई में महिलाओं के लिए आरक्षण नीति से अवगत हैं?

महिलाएं	सं	प्रतिक्रिया					
		हॉ		नहीं		पता नही	
		आवृति	%	आवृति	%	आवृति	%
जिला पंचायत	10	7.00	70.00	2.00	20.00	1.00	10.00
जनपद पंचायत	79	36.00	45.57	32.00	40.51	11.00	13.92
ग्राम पंचायत	311	145.00	46.62	134.00	43.09	32.00	10.29
योग	**400**	**188**	**47**	**168**	**42**	**44**	**11**

सारणी 4

क्या आपके समुदाय में पीआरआई में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है?

महिलाएं	सं	प्रतिक्रिया					
		हॉ		नहीं		पता नही	
		आवृति	%	आवृति	%	आवृति	%
जिला पंचायत	10	3.00	30.00	5.00	50.00	2.00	20.00
जनपद पंचायत	79	15.00	18.99	38.00	48.10	26.00	32.91
ग्राम पंचायत	311	90.00	28.94	169.00	54.34	52.00	16.72
योग	**400**	**108**	**27**	**212**	**53**	**80**	**20**

सारणी 5

क्या आपके समुदाय में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई विशेष पहल या कार्यक्रम हैं?

महिलाएं	सं	प्रतिक्रिया					
		हॉ		नहीं		पता नही	
		आवृति	%	आवृति	%	आवृति	%
जिला पंचायत	10	6.00	60.00	4.00	40.00	0.00	0.00
जनपद पंचायत	79	29.00	36.71	30.00	37.97	20.00	25.32
ग्राम पंचायत	311	134.00	43.09	145.00	46.62	32.00	10.29
योग	**400**	**169**	**40.75**	**179**	**45**	**52**	**13**

सारणी 6

क्या महिलाओं को अपनी राय व्यक्त करने और पीआरआई में निर्णय लेने में योगदान देने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं?

महिलाएं	सं	प्रतिक्रिया					
		हॉ		नहीं		पता नही	
		आवृति	%	आवृति	%	आवृति	%
जिला पंचायत	10	4.00	40.00	4.00	40.00	2.00	20.00
जनपद पंचायत	79	37.00	46.84	34.00	43.04	8.00	10.13
ग्राम पंचायत	311	168.00	54.02	127.00	40.84	16.00	5.14
योग	**400**	**209**	**52**	**165**	**41**	**26**	**7**

www.ignited.in

सारणी 7

क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान महिलाओं के दृष्टिकोण और चिंताओं पर पर्याप्त रूप से विचार किया जाता है?

महिलाएं	सं	प्रतिक्रिया					
		हाँ		नहीं		पता नही	
		आवृति	%	आवृति	%	आवृति	%
जिला पंचायत	10	5.00	50.00	4.00	40.00	1.00	10.00
जनपद पंचायत	79	45.00	56.96	31.00	39.24	3.00	3.80
ग्राम पंचायत	311	157.00	50.48	129.00	41.48	25.00	8.04
योग	**400**	**207**	**52**	**164**	**41**	**29**	**7**

सारणी 8

क्या कोई लिंग–विशिष्ट बाधाएं हैं जो पीआरआई में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बाधा डालती हैं?

महिलाएं	सं	प्रतिक्रिया					
		हाँ		नहीं		पता नही	
		आवृति	%	आवृति	%	आवृति	%
जिला पंचायत	10	8.00	80.00	2.00	20.00	0.00	10.00
जनपद पंचायत	79	56.00	70.89	13.00	16.46	10.00	12.66
ग्राम पंचायत	311	189.00	60.77	112.00	36.01	10.00	3.22
योग	**400**	**253**	**63**	**127**	**32**	**20**	**5**

सारणी 9

क्या पीआरआई के भीतर महिलाओं के नेतृत्व कौशल को बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम हैं?

महिलाएं	सं	प्रतिक्रिया					
		हाँ		नहीं		पता नही	
		आवृति	%	आवृति	%	आवृति	%
जिला पंचायत	10	7.00	70.00	3.00	30.00	0.00	0.00
जनपद पंचायत	79	54.00	68.35	24.00	30.38	1.00	1.27
ग्राम पंचायत	311	198.00	63.67	57.00	18.33	56.00	18.01
योग	**400**	**259**	**65**	**84**	**21**	**57**	**14**

सारणी 10

क्या पीआरआई के भीतर महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और मुद्दों के समाधान के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं?

महिलाएं	सं	प्रतिक्रिया					
		हाँ		नहीं		पता नही	
		आवृति	%	आवृति	%	आवृति	%
जिला पंचायत	10	6.00	60.00	4.00	40.00	0.00	0.00
जनपद पंचायत	79	39.00	49.37	15.00	18.99	25.00	31.65
ग्राम पंचायत	311	145.00	46.62	110.00	35.37	56.00	18.01
योग	**400**	**190**	**48**	**129**	**32**	**81**	**20**

सारणी 11

क्या महिलाएँ पीआरआई के भीतर विकास परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में शामिल हैं?

महिलाएं	सं	प्रतिक्रिया					
		हाँ		नहीं		पता नही	
		आवृति	%	आवृति	%	आवृति	%
जिला पंचायत	10	7.00	70.00	3.00	30.00	0.00	0.00
जनपद पंचायत	79	19.00	24.05	29.00	36.71	31.00	39.24
ग्राम पंचायत	311	78.00	25.08	167.00	53.70	66.00	21.22
योग	**400**	**104**	**26**	**199**	**50**	**97**	**24**

सारणी 12

क्या महिलाओं को पीआरआई में उनके योगदान के लिए मान्यता और सराहना मिलती है?

महिलाएं	सं	प्रतिक्रिया					
		हाँ		नहीं		पता नही	
		आवृति	%	आवृति	%	आवृति	%
जिला पंचायत	10	3.00	30.00	4.00	40.00	3.00	30.00
जनपद पंचायत	79	21.00	26.58	30.00	37.97	28.00	35.44
ग्राम पंचायत	311	158.00	50.80	132.00	42.44	21.00	6.75
योग	**400**	**182**	**46**	**166**	**42**	**52**	**13**

6. निष्कर्ष

यह खंड सिवनी जिले के विशेष संदर्भ में, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और विकास के बीच संबंध की जांच की गई। भारत में स्थानीय स्वशासी निकायों के रूप में पंचायती राज संस्थाएँ, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भागीदारी के महत्व को पहचानते हुए, अध्ययन में राजनीतिक जुड़ाव और महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के बीच संबंधों का पता लगाने की कोशिश की गई। हाल के वर्षों में, स्थानीय शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की मान्यता बढ़ रही है। अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के उनके विकास के साथ–साथ समुदाय के समग्र विकास पर प्रभाव की जांच करके ज्ञान के मौजूदा भंडार में योगदान करना है। ग्रामीण परिवेश में स्थित सिवनी जिले ने महिला सशक्तीकरण और सामाजिक–आर्थिक प्रगति पर राजनीतिक जुड़ाव के प्रभाव की जांच के लिए एक प्रासंगिक संदर्भ प्रदान किया। डेटा का व्यापक विश्लेषण और साक्षात्कार और सर्वेक्षण आयोजित करके, अध्ययन महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और विकास के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध पर प्रकाश डालता है। इसने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भूमिका, संसाधन आवंटन पर उनके प्रभाव और सामुदायिक विकास पहल में उनके योगदान का पता लगाया। अध्ययन में पंचायती राजसंस्थानों में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों की भी जांच की गई और उनकी भागीदारी और प्रभाव को बढ़ाने के लिए संभावित रणनीतियों की पहचान की गई। पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक भागीदारी और महिलाओं के विकास के बीच संबंधों को

www.ignited.in

समझना लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. रुक्मिणी, एस (3 दिसंबर 2013) 'मतदाता मतदान में वृद्धि के पीछे कौन है?' द हिन्दू

2. एस. शेरिल केनेथ, वैगलर जे. डेविड (2008) राजनीतिक जानकारी, शिक्षा स्तर, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक दक्षता की भावना और कुछ निश्चित मान्यताओं की धारणा

3. घोड़के प्रो. शरद (2011) ''जिम्मेदार लोकतंत्र के लिए महिला आरक्षण पर्याप्त नहीं हैं'' (अनुच्छेद विषय शामिल समीक्षा टीम दिशानिर्देश लेखक के लिए समीक्षाकर्ता दिशानिर्देश शोध पत्र पर एफएक्यू प्रारूप) खंड– एक अंक चार

4. खान, गयास असद (2006) मतदान व्यवहार के प्रति राजनीतिक दृष्टिकोण का अध्ययन। राजनीति विज्ञान विभाग; वी बी एस पूर्वांचल विष्वविद्यालय।

5. बशारत ताहिरा (2009) समकालीन हिंदू महिला–एक सिंहावलोकन; पंजाब विष्वविद्यालय लाहौर; दक्षिण एशियाई अध्ययन का एक शोध जर्नल; वॉल्यूम 24, नंबर 2, पीपी 242–249

6. पुष्पा अर्चना, (2014) 'वूमेन इन चार्ज, कर्नाटक क्वेड रिवोल्यूशन' समाज कल्याण, वॉल्यूम. 16, क्रमांक 2, मार्च, पृ. 17–18

7. सदाशिवम (2014) भारत में समावेशी लोकतंत्र अभी भी एक लंबी यात्रा है। कुरूक्षेत्र, खंड. 62, क्रमांक 3 जनवरी, पृ. 32–35

8. महापात्र जी.पी. (2007) रूरल बैंक्स फॉर रूरल डेवलपमेंट डिस्कवरी पब्लिशिंग,घर नई दिल्ली

9. भाग्यलक्ष्मी, जे. (2004) श्महिला सशक्तिकरण मील आगे जाना हैश, योजना खंड 48 पृष्ठ 38–42

10. हस्ट एवलिन (2004) भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण–ए मिलियन इंदिराज़ नाउ ?, मनोहर पब्लिशर्स, नई दिल्ली

Corresponding Author

Deepak Kumar Warkade*

Research Scholar, Bhabha University,Bhopal, MP

www.ignited.in